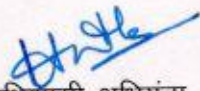


परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैन्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है ।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत

संख्या- 4417 / 111(2) / 15-04(म0म0घो0) / 2015

प्रेषक,

ललित मोहन आर्य,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 27 मई, 2015

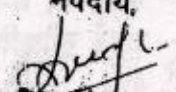
विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 39 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 39 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी लम्बाई 273.59 किमी0 + 05 सेतु है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1481.81 लाख (₹ चौदह करोड़ इकसठ लाख इक्कासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 39 कार्यों हेतु ₹ 3.90 लाख (₹ तीन लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके नियर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

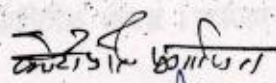
- (ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत माद में नियतन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- (xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।
- (2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापीरक-5054 सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- (3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 189(A)/XXVII/(2)/2015 दि०- 26 मई, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव

संख्या:- / 111(2)/15-04(मु०म०घ००)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।



संयुक्त सचिव
ललित मोहन आर्य
संयुक्त सचिव

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या: 44/17 / 111(2)/15-04(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 27 मई, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	अनुमोदित लागत	चातुर्वितीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-626/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र- पुरोला के अन्तर्गत कड़ोरी से कण्डारी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	3.00	0.63	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-629/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र- पुरोला के अन्तर्गत गढ़ अम्बेडकर हल्का मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य।	5.00	1.70	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-234/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र- पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत खुनीगाड़ सरास मोटर मार्ग के किमी० 10 से देयवन, तपस्थली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	15.00	15.00	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-128/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत कैम्पटी घड़ोरी हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य।	20.59	7.00	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-394/2011 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के अन्तर्गत सांकरी से बरनौली होते हुए बमराडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	58.00	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-663/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- बागेश्वर के अन्तर्गत पुरड़ा- धितईगैर-जिन्तोली तक 13 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	13.00	181.48	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-667/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- बागेश्वर के अन्तर्गत कुलाऊ- ग्यालदम मोटर मार्ग से नौगाँव से कण्ठेश्वर तक 2.50 किमी० डामरीकरण का कार्य।	2.500	0.53	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-666/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- बागेश्वर के अन्तर्गत गरुंड ब्लॉक के जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाई स्कूल तक 2.50 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	17.80	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-663/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- बागेश्वर के अन्तर्गत शान्ति बाजार मठखाल- तल्लाडोबा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	42.96	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-856/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- बागेश्वर के अन्तर्गत चौफुला से भरडखेत तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	69.80	0.10

शासनादेश संख्या-4417 / 111(2)/15-04(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 27 मई, 2015 का संलग्नक

11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-668/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- बागेश्वर के अन्तर्गत गरुड़ ब्लॉक के पाण्डेखरक-जिजोली (राजकीय पोलिटैक्निक हेतु) 2.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	28.64	0.10
12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-665/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- बागेश्वर के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	35.60	0.10
13	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-694/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- बागेश्वर के अन्तर्गत गरुड़ ब्लॉक के लमघुला से गनीगांव तक 3 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	21.36	0.10
14	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-662/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- बागेश्वर के अन्तर्गत जिजोली- सलखन्यारी तक 10 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00	139.60	0.10
15	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-649/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- कपकोट के अन्तर्गत दौला- देवलविसराल-भेटा- बाजड़ 8.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	44.00	0.10
16	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-75/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- कपकोट के अन्तर्गत शामा लीटी गोगिना मोटर मार्ग से नामिके रामगंगा नदी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	48.32	0.10
17	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-86/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत शामा से रमड़ी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए जोगती तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	30.20	0.10
18	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-656/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- कपकोट के अन्तर्गत खडलेख भनार मोटर मार्ग के 10 किमी0 आगे धरमधर माजखेत मोटर मार्ग के घुरड़िया बैण्ड तक मिलान का कार्य।	8.00	48.32	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-651/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- कपकोट के अन्तर्गत करुली बैण्ड से गाजली-विजोरिया तक मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य।	10.00	60.40	0.10
20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-660/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत कर्मी मोटर मार्ग से सापुली गुटक-लिक रोड सम्पर्क एवं मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	44.29	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-687/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- कपकोट के अन्तर्गत ग्राम सभा पत्तों से गामानी कमेड पानी लिंक रोड के निर्माण का कार्य।	10.00	60.40	0.10

शासनादेश संख्या: 4417 / 111(2) / 15-04(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 27 मई, 2015 का संलग्नक

22	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-689/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- कपकोट के अन्तर्गत महतगांव से गाजली, हिरमोली क्लॉग लिंक रोड का निर्माण कार्य।	8.00	48.32	0.10
23	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-693/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- कपकोट के अन्तर्गत सोराग से भगवान होते हुए मोपाटा घमोली तक 05 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	27.68	0.10
24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-375/2013 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र- कपकोट के अन्तर्गत कालपैर कापडी स्कूल के पास रागंगा नदी पर 70 मी. स्पान झूला पुल का निर्माण कार्य।	70 mtr.	3.59	0.10
25	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-234/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत जालली मोटर मार्ग से रानीखेत नगर के लिए बाईपास मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	13.59	0.10
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-743/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के अन्तर्गत घोटी पुल से झील तक 01 किमी. सड़क का निर्माण कार्य।	1.00	4.01	0.10
27	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकास खण्ड धौलधार के अन्तर्गत मल्ला उप्पू से ओलणी तक मोटर मार्ग एवं 15 मी. स्पान पुल का नव निर्माण कार्य।	3.00+ 15 mtr.	24.60	0.10
28	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-723/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत नागदेव पथलड बुरांसखण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00	47.32	0.10
29	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-725/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के विकास खण्ड घग्घा के अन्तर्गत कोटीगाड-बगासूधार इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	25.40	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-905/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा-जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण कार्य।	4.00	18.13	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-907/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- सोमेश्वर के अन्तर्गत चौबटिया-नागपानी-देहोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	22.66	0.10
32	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-718/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत तिर्तुणा से अगुण्डा कोटी मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण कार्य।	10.00+ 80 mtr	36.48	0.10

शासनादेश संख्या:- 4417/111(2)/15-04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई, 2015 का संलग्नक

33	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-699/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत पिन्सवाड से बेलक भटवाड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	14.00	43.23	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-709/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत बूढाकैदार-पिन्सवाड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	24.00	54.88	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-719/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत दुंगरी से खिटा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10.00	30.88	0.10
36	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-710/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत जखाणा पगैटी गैवाली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	12.00	37.06	0.10
37	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-700/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत लाटा-सीताकोट-भट्टगांव मोटर मार्ग के किमी0 13 थापड़ से डमकोट होते हुए दुध्याड़ी देवी मन्दिर पौनाड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00+ 2No. 18mtr.	28.22	0.10
38	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-717/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत पिलखी सिलोगी नामे तोक से नैल बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	33.80	0.10
39	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-656/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत जगदीशिला-हिन्दाय तक 05 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	5.93	0.10
योग:-		273.59 + 05 Brg	1461.81	3.90

(कुल र तीन लाख नब्बे हजार मात्र)

क्रियाशील अभियंता

सहायक अभियंता
राज्यीय खण्ड लां वि०
बागेश्वर 24/8/15

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव